राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार–2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– श्री के0आर0 खोड़ आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
11 / 2014 / वाद पत्र	11.02.2014	12.05.2017

इनवान

तेजसिंह पिता रूपसिंह राजपूत निवासी नासरदा तहसील शाहपुरा

– वादी

बनाम

1– विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शाहपुरा
2– कार्यक्रम अधिकारी, (नरेगा योजना) पंचायत समिति, शाहपुरा
3– तहसीलदार, शाहपुरा
4– अति0 जिला कोर्डिनेटर नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0ए0

उपस्थित :– 1. श्री दिनेश व्यास : अधिवक्ता वादी
2. श्री सुरेन्द्रसिंह राणावत : अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 रा0टी0ए0 विरूद्व प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है वादी के कब्जे काश्त की कृषि आराजी ग्राम देवखेड़ा पटवार हल्का आमलीकलां हाल डाबला कचरा मे पुराने आराजी संख्या 319 रकबा 1 बीधा 15 बिस्वा भूमि स्थित थी। जो दिनांक 07.06.1989 को वादी के नाम आवंटित हुई थी। जिसके भू–बन्दोबस्त के तहत नये आराजी नम्बर 472, 714, 715 मे से रकबा 0.44 है0 होकर वादी के नाम दर्ज रेकार्ड है। जमाबन्दी संवत 2057–60 मे अंकन भी हो चुका है। ग्राम देवखेड़ा वादग्रस्त आराजीयात व तालाब की पाल के बीच लगभग 60–65 फीट चौड़ा रास्ता विद्यमान होकर ग्रामीण वर्तमान मे उपयोग उपभोग करते आ रहे है। इसके बाद भी राजनैतिक रंजिश से उक्त रास्ते को नाजायज तरीके से वादी के कब्जे काश्त की व गैर खातेदारी आराजी से प्रतिवादीगण रास्ता निकालने पर आमादा है व वादी के उपयोग उपभोग मे बाधा कारित कर उसे बेदखल करने पर आमादा है। उनका कृत्य गैरकानूनी होकर ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नही है। अतः वादी के पक्ष मे व प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जावे कि ग्राम देवखेड़ा पटवार हल्का डाबला कचरा की सरहद मे स्थित आ0न0 472, 714, 715 रकबा 0.44 है0 पर वादी के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा कारित न तो स्वयं कारित करे व न ही नोकरों, ऐजेन्टो से बाधा कारित करावे।

प्रकरण पजीबद्व किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से अभिभाषक श्री सुरेन्द्रसिह राणावत उपस्थित हुये। दिनांक 14.07.2014 को उनके द्वारा जवाब दावा पेश किया गया। जवाब मे बताया कि वादी के कब्जे काश्त व खाते की भूमि पर सड़क निर्माण कार्य नही किया जा रहा है। नरेगा योजना के अन्तर्गत ग्राम देवखेड़ा से ग्राम नारसदा की बिलानाम भूमि पर सड़क निर्माण का कार्य चलाया जा रहा

है। अतः वाद वादी खारिज किया जावे। दिनांक 11.11.2014 को प्रकरण मे निम्न तनकीयात कायम की गई :–

1. आया ग्राम देवखेड़ा की सरहद मे स्थित आ0न0 472, 714, 715 रकबा 0.44 है0 जो कि वाद की चरण संख्या एक मे वर्णित पड़ोसों के मध्य स्थित है। वादी, प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ? —— जिम्मे वादी
2. आया ग्राम देवखेड़ा ख0न0 472 रकबा 0.54 है0, 714 रकबा 0.71 है0, ख0न0 715 रकबा 0.50 है0 बिलानाम दर्ज होकर देवखेड़ा से नासरदा सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। यह आराजीयात वादी तेजसिंह राजपूत के नाम खातेदारी, गैरखातेदारी हक मे दर्ज नही है। अतः वाद वादी खारिज योग्य है ? —— जिम्मे प्रतिवादीगण
3. दादरसी।

प्रकरण साक्ष्य वादी के नियत किया गया। दिनांक 12.05.2017 को विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार–2017 अटल सेवा केन्द्र डाबला कचरा पर सुना गया। अभिभाषक वादी द्वारा अपनी बहस मे बताया कि उसके खातेदारी अधिकार की आराजीयात जो ग्राम देवखेड़ा मे आराजी नम्बर 472, 714, 715 कुल किता 03 रकबा 0.44 है0 है। उसके उपयोग उपयोग मे प्रतिवादीगण किसी प्रकार की बाधा कारित नही करे तथा नरेगा योजनान्तर्गत रास्ते का निर्माण नही करे व न करावे। अभिभाषक प्रतिवादीगण ने अपनी बहस मे बताया कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पर उनके द्वारा किसी प्रकार का सड़क निर्माण कार्य नही कराया जाकर बिलानाम भूमि पर सड़क निर्माण का कार्य चलाया जा रहा है अतः वाद वादी खारिज किया जावे। बहस पर मनन एवं प्रकरण, राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी ग्राम देवखेड़ा संवत 2057–60 मे आ0न0 472, 714, 715 कुल किता 03 रकबा 0.44 है0 का वादी तेजसिंह पिता रूपसिंह राजपूत निवासी नासरदा के नाम दर्ज रेकार्ड है। जबकि प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार की सड़क निर्माण कार्य नही किया जा रहा है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ :–

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 रा0टी0ए0 स्वीकार किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि वाके ग्राम देवखेड़ा पटवार हल्का डाबला कचरा तहसील शाहपुरा मे स्थित आ0न0 472, 714, 715 कुल किता 03 रकबा 0.44 है0 के वादी के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा कारित न तो स्वयं कारित करे व न ही नोकरो, ऐजेन्टो से बाधा कारित करावे। किसी प्रकार के रास्ते का निर्माण नही करे। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 12.05.2017 को केम्प डाबला कचरा पर सुनाया गया।

(के0आर0 खोड़)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, शाहपुरा (भीलवाडा)

राजस्व लोक अदालतअभियान
न्यायआपकेद्वार–2017

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

ईजलास श्री के0 आर0 खौड, आर0ए0एस0

तेजसिंह पिता रूपसिंह राजपूत निवासी नासरदा तहसील शाहपुरा

– वादी

बनाम

1– विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शाहपुरा
2– कार्यक्रम अधिकारी, (नरेगा योजना) पंचायत समिति, शाहपुरा
3– तहसीलदार, शाहपुरा
4– अति0 जिला कोर्डिनेटर नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0ए0
मुकदमा नम्बर 11/2014 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व ......X........ मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 रा0टी0ए0 स्वीकार किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि वाके ग्राम देवखेड़ा पटवार हल्का डाबला कचरा तहसील शाहपुरा मे स्थित आ0न0 472, 714, 715 कुल किता 03 रकबा 0.44 है0 के वादी के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा कारित न तो स्वयं कारित करे व न ही नोकरो, ऐजेन्टो से बाधा कारित करावे। किसी प्रकार के रास्ते का निर्माण नही करे।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें मे सूद शहर फीसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बसंत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 12 माह 05 सन् 2017 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाड़ा)